आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026 · Revenue and Disaster Management Department (Commissionerate of Revenue Administration)

Destitute Widow Pension Scheme

तमिलनाडु सरकार की यह मासिक पेंशन 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र की उन निराश्रित विधवाओं के लिए है जिनके पास बहुत कम संपत्ति है। यह राजस्व विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में से एक है।

क्या मिल सकता है

हर महीने Rs 1,200 पेंशन (यह दर अगस्त 2023 से लागू है), जो बैंक खाते में या मनी ऑर्डर से मिलती है। पेंशन पाने वालों को पोंगल और दीपावली पर मुफ्त साड़ी और मुफ्त चावल भी मिलता है: आंगनवाड़ी केंद्र में खाना न खाने वालों को महीने में 4 किलो और खाने वालों को 2 किलो।

किसके लिए है

तमिलनाडु की 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र की वे विधवाएं जिनका कोई सहारा नहीं है और जिनके पास बहुत कम संपत्ति है।

मुख्य शर्तें

- आप निराश्रित विधवा हों, यानी आपका कोई सहारा न हो।
- आपकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो।
- आपकी अचल संपत्ति की कीमत Rs 1,00,000 से ज़्यादा न हो। सरकार से मिला मुफ्त घर इस कीमत में नहीं गिना जाता।

दस्तावेज़

- आवेदक की फोटो
- आधार कार्ड और आधार सहमति फॉर्म
- स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड या कोई दूसरा पते का प्रमाण
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
- विधवा प्रमाणपत्र
- आवेदक का स्व-घोषणा पत्र
- पहचान का एक प्रमाण (वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस)
- बैंक पासबुक

आवेदन कैसे करें

1. T N e-Sevai पोर्टल (tnesevai.tn.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करें और Destitute Widow Pension Scheme (DWPS) सेवा चुनें। यह सेवा e-Sevai केंद्र के ऑपरेटर के ज़रिए भी मिलती है।
2. e-Sevai पोर्टल पर इस सेवा के लिए बताए गए दस्तावेज़ अपलोड करें।
3. राजस्व अधिकारी आवेदन की जांच करते हैं। पात्र आवेदकों के लिए विशेष तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना) पेंशन का आदेश देते हैं। आवेदन 30 दिन के भीतर निपटाए जाते हैं।
4. इसके बाद पेंशन हर महीने बैंक या इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर से मिलती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.cra.tn.gov.in/about_schemes_t.php
आधिकारिक आवेदन: https://www.tnesevai.tn.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/tamil-nadu/tn-destitute-widow-pension/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।